न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील: 19/2024
दायर दिनांक: 27.05.2024
निर्णय दिनांक 06.04.2026

—: अनवान :—

राजकॅवर पत्नि भैरूदान जी जाति चारण आयु 77 वर्ष निवासी सियाणा तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द

— **अपीलार्थी**

—: बनाम :—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारगढ तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद
2. भगवतसिंह पिता इन्द्रसिह जी जाति चारण आयु वयस्क निवासी जेतपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा राजस्थान

— **रेस्पोडेण्ट**

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 03.04.2024 द्वारा पारित तहसीलदार (भु अ) सरदारगढ जिला राजसमन्द एवं तद्नुसार स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1454 दिनांक 29.04.2024 से व्यथित होकर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—

1. श्री श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3. श्री रितेश टुकलिया, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 02

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सरदारगढ द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1454 दिनांक 29.04.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी एवं उसका पुत्र हरिसिंह की संयुक्त खातेदारी की कृषि भुमि राजस्व ग्राम सियाणा तहसील

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

सरदारगढ में स्थित है। जिसके संबध में रेस्पोण्डेंट संख्या दो द्वारा अपने आपको हरिसिंह का गोद पुत्र बताते हुऐ रेस्पोण्डेंट संख्या एक से गोद के आधार पर विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत करा दिया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश तथ्यो एवं विधि के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं दिया है और उसे सुने बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है जो अपास्त होने योग्य है। उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही एक ही दिन में सम्पादित कर दी गई है और उक्त जल्दबाजी के कारण ही नामान्तरकरण गलत रूप से स्वीकृत किया गया है। हरिसिंह की प्रथम सूची के वारिस अपीलार्थी ही एक मात्र है। हरिसिंह शादीशुदा नहीं था। अपीलार्थी का पुत्र है इसलिए एक मात्र वारिस अपीलार्थी ही है लेकिन फर्जी रूप से रेस्पोण्डेंट संख्या दो ने अपने आपको हरिसिह का गोद पुत्र बताते हुए तहसीलदार सरदारगढ एवं पटवारी से मिलीभगत करते हुऐ विरासत का नामान्तरकरण नियमो के विपरित स्वीकृत कराया है। वादग्रस्त भुमि के संवध में न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेट में एक वाद घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत् विचाराधीन है जो बअनवान भगवतसिह बनाम जब्बरसिंह वगैरा के अनवान से विचाराधीन है जिसके साथ अस्थाई निषेधा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जो बअनवान भगवतसिंह बनाम जब्बरसिंह व अन्य के विचाराधीन होकर प्रकरण संख्या 01 सन् 2019 रेवेन्यु प्रार्थना पत्र में न्यायालय द्वारा दिनांक 02.01.2019 से उक्त वादग्रस्त भुमि के संबध में स्थगन आदेश जारी किया है जो राजस्व ग्राम सियाणा तहसील आमेट के वादग्रस्त आराजी संख्या 1388, 1402, 1382, से लगायत 1386 1389 1391, 1392, 1393, 1387 के संबध में स्थगन आदेश जारी कर रखा है। जिसमें तहसीलदार भुमिधारी एवं उप पंजियक सरदारगढ पक्षकार है जिन्हें इस स्थगन की पूर्ण रूप से जानकारी है उक्त स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है। अपीलार्थी मृतक हरिसिंह की प्राकृतिक माता है और हरिसिंह ने अपने जीवनकाल में रेस्पोण्डेंट संख्या दो को कभी गोद नहीं लिया है। तहसीलदार सरदारगढ को उक्त विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत करने की कानूनन कोई अधिकारिता नहीं है। विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है ओर तहसीलदार ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त नामान्तकरण को स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है। रेस्पोण्डेंट संख्या दो ने राजस्व अधिकारियो से मिलीभगत करते हुऐ तहसीलदार सरदारगढ के यहाँ एक आवेदन पत्र गोदनामे के आधार पर विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत कराने हेतु प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत आवेदन पत्र में गोदनामा किस तारीख को निष्पादित हुआ है कहाँ पर पंजीयन हुआ है कुछ भी उल्लेख नहीं है हरिसिंह की मृत्यु कब हुई है उसकी दिनांक एवं मृत्यु प्रमाण पत्र भी सलंग्न नहीं था लेकिन तहसीलदार उक्त भगवतसिंह से मिला हुआ था इसलिए बिना दस्तावेज के ही उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पटवारी हल्का को दिनांक

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

12.03.2024 को कमांक 199 से प्रेषित किर दिया गया। इस प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का ने कोई जॉच नहीं की ओर सीधे ही रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित कर दी गई। प्रेषित रिपोर्ट में हरिसिंह की वर्ष 2018 में मृत्यु होना जाहिर करते हुऐ मृत्यु प्रमाण पत्र सलंग्न किया गया जबकि पटवारी को उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त हुआ जब स्वयं भगवतसिंह ने मृत्यु प्रमाण पत्र ही पेश नहीं किया तो पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में उसे किस आधार पर सम्मिलित किया गया। इससे भी फर्जीवाडे की पुष्टि हो रही है। साथ ही मुझ अपीलार्थी द्वारा नामान्तकरण नहीं खोलने बाबत आपत्ति प्रस्तुत की ओर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होना बताया गया जबकि पटवारी हल्का अपीलार्थी के पास न तो जॉच के लिए आया न ही अपीलार्थी के कोई बयान ही लेखबद्ध किये गये न ही अपीलार्थी ने ऐसा कोई प्रार्थनापत्र ही पेश किया। उसे तो इस सम्पूर्ण कार्यवाही की कोई जानकारी ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का और तहसीलदार द्वारा रेस्पोण्डेंट संख्या दो से नाजायज लाभ प्राप्त कर न्यायालय में न केवल प्रकरण विचाराधीन होते हुऐ बल्कि न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बावजूद भी नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जबकि उक्त प्रकरण में तहसीलदार स्वयं पक्षकार है उसे सारे तथ्यो की जानकारी है। फिर भी स्थगन आदेश की पालना किय बगेर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर प्रारम्भ से ही शुन्य है। अपीलार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में रेस्पोण्डेंट संख्या दो द्वारा बनाये गये फर्जी गोदनामे के संबंध में वाद पेश कर रखा है जिसमें स्वयं तहसीलदार पक्षकार है और उन्हें इस सारे विवाद की जानकारी थी स्थगन आदेश की भी जानकारी थी फिर भी नामान्तरकरण विरासत का गोदनामे के आधार पर स्वीकृ त कर दिया और सारी जमीन विपक्षी संख्या दो के नाम पर विरासत से हरिसिंह से कर दी है जो अवैद्य एवं विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी हरिसिंह की माता है प्रथम अनुसूची की वारिस है लेकिन उसके नाम परे नामान्तकरण स्वीकृत न कर आलौच्य आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। गोदनामे के संबंध में रेस्पोण्डेंट संख्या दो ने अपने अधिकारो की घोषणा सिविल न्यायालय से नहीं कराई है। रेस्पोण्डेंट संख्या दो जब तक सिविल न्यायालय से गोद पुत्र होने की घोषणा नहीं कर लेता हे तब तक गोद नामे के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं करा सकता है। गोद पुत्र होने की घोषणा करने की अधिकारिता केवल सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सरदारगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1454 दिनांक 29.04.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री रितेश टुकलिया ने उपस्थिति दी।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने बहस कथन में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सरदारगढ द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं दिया है और उसे सुने बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है जो अपास्त होने योग्य है। उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही एक ही दिन में सम्पादित कर दी गई है और उक्त जल्दबाजी के कारण ही नामान्तरकरण गलत रूप से स्वीकृत किया गया है। हरिसिंह की प्रथम सूची के वारिस अपीलार्थी ही एक मात्र है। हरिसिंह शादीशुदा नहीं था। अपीलार्थी का पुत्र है इसलिए एक मात्र वारिस अपीलार्थी ही है लेकिन फर्जी रूप से रेस्पोण्डेंट संख्या दो ने अपने आपको हरिसिह का गोद पुत्र बताते हुए तहसीलदार सरदारगढ एवं पटवारी से मिलीभगत करते हुऐ विरासत का नामान्तरकरण नियमो के विपरित स्वीकृत कराया है। वादग्रस्त भुमि के संवध में न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेट में एक वाद घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत् विचाराधीन है जो बअनवान भगवतसिह बनाम जब्बरसिंह वगैरा के अनवान से विचाराधीन है जिसके साथ अस्थाई निषेधा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सरदारगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1454 दिनांक 29.04.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने बहस मे निवेदन किया है कि कृषि भूमि के नामान्तरण की कार्यवाही तहसीलदार महोदय द्वारा ही की जाती है। अपीलार्थी द्वारा अन्य लोगो के बहकावे में आने से रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को गोदपुत्र मानने से इन्कार कर रहे है जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को हरि सिंह जी द्वारा उसके प्राकृतिक माता–पिता से गोद लेकर रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित किया है। अपीलार्थी के नाम पर पैतृक सम्पति का हक आधा हिस्सा पूर्व में ही दर्ज है, अपीलार्थी को किसी प्रकार की क्षति नहीं होने वाली है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने अपने प्राकृतिक माता–पिता को छोडकर हरि सिंह जी का गोद रहा था तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा ही हरि सिंह जी की सेवा सुश्रुषा की गई थी। जिस कारण ही गोद पत्र निष्पादित करते हुए हरि सिह जी ने गोदनामें में भी कथन किए थे एवं गोदपुत्र मानकर उत्तराधिकार वारीस नियुक्त किया था। अतः प्रार्थना है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली के अवलोकन के पश्चात यह स्पष्ट रूप से जाहिर हुआ है कि अपीलान्ट

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

श्रीमती राज कंवर पत्नी श्री भैरूदान जी चारण, मृतक श्री हरी सिंह की प्राकृतिक माता है तथा श्री हरी सिंह की मृत्यु होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक नामांतरकरण संख्या 1454 दिनांक 12.04.2024 को स्वीकृत किया गया, जो कि रेस्पोंडेंट संख्या 2 श्री भगवत सिंह के पक्ष में खोला गया। यह नामांतरकरण श्री भगवत सिंह द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने खोला है। रजिस्टर्ड गोदनामे के अनुसार भगवत सिंह मृतक श्री हरी सिंह का दत्तक पुत्र माना गया है। यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि श्रीमती राज कंवर, जो कि अपीलान्ट है, वह मृतक श्री हरी सिंह की माता है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, प्रथम अनुसूची के वारिस में पुत्र के साथ–साथ माता–पिता भी शामिल होते है। अतः श्री हरी सिंह जी की मृत्यु उपरांत यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 2 श्री भगवत सिंह को दत्तक पुत्र माना गया है, तो भी मृतक श्री हरी सिंह की माता राज कंवर (जो इस प्रकरण में अपीलान्ट हैं) उनकी प्राकृतिक माता होने के कारण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम अनुसूची के अनुसार वारिस है। जिनका नाम नामांतरकरण में अंकित नहीं किया गया है, जो कि अधीनस्थ न्यायालय की एक विधिक त्रुटि है। और मैं इस विधिक त्रुटि को ध्वस्त किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सरदारगढ द्वारा स्वीकृत आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 1454 दिनांक 29.04.1994 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार सरदारगढ को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं। कि वह मृतक श्री हरी सिंह के उत्तराधिकारियों की हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जाँच कर नामांतरकरण नए सिरे से पुनः दर्ज करें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 06.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद